

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
ओ020रूल 6-7 जाब्ता दिवानी

अदालत - उपखण्ड अधिकारी
इजलास - जयवीर सिंह कालेर

मुकाम - कुशलगढ़
आर0ए0एस0

खुमसंग पिता होमजी भील निवासी सुरवन तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज)
बनाम

1. भेमसिंग पिता होमजी भील निवासी सुरवन तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज)
2. मदन पिता पारसंग भील निवासी सुरवन तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज)
3. प्रताप पिता पारसंग भील निवासी सुरवन तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज)
4. नाथू पिता पारसंग भील निवासी सुरवन तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज)
5. शाखा प्रबन्धक, बडौदा राजस्थान ग्रामीण (BRGB) बैंक शाखा मोहकमपुरा
6. भूमिधारी तहसीलदार, कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज)

दावा बाबत् 88, 53, 209रा0का0अ0

मुकदमा नं0-39/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसलस कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुदई रूबरू अभिभाषक मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुकम दिया जाता है/डिकरी जारी की जाती है कि -

ग्राम सुरवन की कृषि भूमि सर्वे नम्बर 276 रकबा 2.70 एकड़ लगान 4.66 व 5.67, 357 रकबा 1.36 एकड़ लगान 5.12, 367 रकबा 1.46 एकड़ लगान 1.09 व 3.59, 378 रकबा 0.06 एकड़ लगान 00, 379 रकबा 3.96 एकड़ लगान 5.55 व 6.20 कुल खेत 5 कुल रकबा 9.54 एकड़ कुल लगान 31.92 में वादी को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 को 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 2 से 4 को 1/3 हिस्सा का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 से 4 के मध्य उक्त हिस्सा अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स एवं भूमि की किस्म/रेकार्ड के आधार पर राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार कुशलगढ़ को बटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। जो विभाजन प्रस्ताव तैयार कर फहरिस्त बटवारा एवं नक्षा ट्रेस तीन-तीन प्रतों में पेश करेंगे। बैंक का इन्द्राज यथावत रहेगा। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करें।

मिजमुलालिग बातखर्चा इस मुकदमें के मय सदबशरह फिसदी सालाना अज तारीख से तारीख अदायगी तक.....बासिब्त मेरे दस्तखत व मुहर के आज तारीख 16.05.2018 को जारी की गई


(जयवीर सिंह कालेर)

उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)

मुदई	रूपया पैसा	मुदायलाल	रूपया पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प बजह सवूत		महनताना	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बाबत् इजराय हुकमनामा	
बाबत् इजराय हुकमनामा		मुतफरिक मिजान मुतफखियख	

नोट:- इस खर्च के फार्म पर कुल हर दो फरिकेन को चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया